आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश प[र] की गई कार्यवाही
03/05/24	**उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।** **विविध (अनुमति) वाद संख्या– 04/2023–24** **वीणा देवी** **–बनाम–** **16 आना रैयत मौजा– बोरियो बाजार।** **–: आदेश :–** प्रस्तुत अनुमति वाद आवेदिका वीणा देवी, पति– प्रदीप कुमार आर्या, सा0– बोरियो बाजार, थाना– बोरियो, जिला– साहेबगंज के द्वारा जमीन बिक्री हेतु आवेदन दाखिल किया गया है। जमीन की विवरणीः– मौजा– बोरियो बाजार, थाना नं0– 56, जमाबंदी नं0– 186/403/क, दाग नं0– 228 एवं 229 कुल रकवा– 03 कठ्ठा 18 धूर। **चौहदीः–** उत्तरः– सड़क दक्षिणः– विश्वनाथ राम पूरबः– कपील देव राम पश्चिमः– स्व0 नारायण भगत आवेदन का अवलोकन किया। वाद अंगीकृत करते हुए 16 आना रैयत मौजा– बोरियो बाजार को नोटिस निर्गत की गई एवं अंचल अधिकारी, बोरियो को इस न्यायालय का ज्ञापांक– 590/डी0बी0, दिनांक– 23.12.2023 से प्रतिवेदन की मांग की गई। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। 16 आना रैयत के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अंचल अंचल अधिकारी, बोरियो के पत्रांक– 82/रा0, दिनांक– 19.01.2024 के द्वारा मौजा– बोरियो बाजार के प्रतिवेदन समर्पित किया गया। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदिका की नीज भोग दखली जमीन जिला साहेबगंज अंतर्गत अंचल– बोरियो, मौजा– बोरियो बाजार, थाना नं0– 56, जमाबंदी नं0– 186/403/क, दाग नं0– 228 एवं 229, कुल रकवा 03 कठ्ठा 18 धूर जमीन निबंधित केवाला के द्वारा प्राप्त किया है तथा पंजी–II में दर्ज है। उक्त भूमि में किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। आवेदिका के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पुत्री की शादी एवं सांसारिक कार्यों की पूर्ति के लिए रूपये की आवश्यकता आ पड़ी। जिसके फलस्वरूप अपनी भोग दखली वाली भूमि 03 कठ्ठा 18 धूर कुल कीमत 4,40,000/– रूपये में बिक्रय करने हेतु तय किया गया। क्रेता मनीष कुमार साह, पिता– कपीलदेव राम, सा0– बोरियो बाजार, थाना– बोरियो, जिला– साहेबगंज के द्वारा उक्त राशि भुगतान कर दी गई। उनके द्वारा मौजा– बोरियो बाजार, थाना नं0– 56, जमाबंदी नं0– 186/403/क, दाग नं0– 228 एवं 229 कुल रकवा 03 कठ्ठा 18 धूर जिसकी चौहदीः–	

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

उत्तर– सड़क, दक्षिण– विश्वनाथ राम, पूरब– कपीलदेव राम एवं पश्चिम स्व0 नारायण भगत है। उक्त भूमि को बिक्री करने हेतु अनुमति प्रदान के लिए अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बोरियो के पत्रांक– 82/रा0, दिनांक– 19.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि अंचल बोरियो अंतर्गत मौजा– बोरियो बाजार, थाना नं0– 56, जमाबंदी नं0– 486/403/क, दाग नं0– 228 एवं 229, कुल रकवा– 00–03–18 धूर जमीन नामांतरण के सं0– 08/2016–17 के अनुसार पंजी– II में दर्ज है। आवेदिका के द्वारा वर्ष 2016–17 का लागान अद्यतन है। उक्त भूमि शांतिपूर्ण भोग दखल में है। उक्त भूमि सर्वेक्षित एवं बिक्रयशील मौजा है।

अंचल अधिकारी, बोरियो के द्वारा उक्त भूमि बिक्री अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

अतएव अंचल अधिकारी, बोरियो से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के पत्रांक 425/रा0, दिनांक 12.05.1903 के कंडिका–2(b) के अनुसार "Your heir are entitled to succeed you. You may sale your holding and the buildings on it to any person approved by the Deputy Commissioner and a mutation fee may be livied on such transfer but if you transfer your holding without authority the unrecognized occupier will be liable to eviction".

उपरोक्त पत्र के आधार पर बोरियो कंडिका 2(b) के दायरे में रखा गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बोरियो के अनुशंसा के आधार पर मौजा– बोरियो बाजार, थाना नं0– 56, जमाबंदी नं0– 186/403/क, दाग नं0– 228 एवं 229, रकवा– 00–03–18 धूर के जमीन आवेदिका के भोग दखल कब्जा वाली भूमि जिसकी चौहदीः– उत्तरः– सड़क, दक्षिणः– विश्वनाथ राम, पूरबः– कपीलदेव राम, पश्चिमः– स्व0 नारायण भगत वाली भूमि क्रेता मनीष कुमार साह, पिता– कपीलदेव राम, सा0– बोरियो बाजार, थाना– बोरियो, जिला– साहेबगंज के पास बिक्री करने की अनुमति दी जाती है।

आदेश की प्रति जिला अवर निबंधक, साहेबगंज एवं अंचल अधिकारी, बोरियो को भेजें। पारित आदेश से आवेदिका को भी अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

(हस्ताक्षर) 03/5/2024
उपायुक्त
साहेबगंज।

(हस्ताक्षर) 03/5/2024
उपायुक्त
साहेबगंज।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.06.24 13:17:17 +05:30
Location: 192.168.29.209